

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकर (ले एवं हक), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:-

15/11/20

विषय:- विधि विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल राशि
₹ 31,02,330/- (इकतीस लाख दो हजार तीन सौ तीस रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत ।

विद्युत कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विधि विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ 31,02,330/- (इकतीस लाख दो हजार तीन सौ तीस रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई0डी0	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/ दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
01	विद्युत भवन प्रमंडल, छपरा	32935	Provision of E/W and E/I in every Court Room of New 10 Court, Old 16 Court, Magistrate Court and Fast Track Court Building (for 02 Nos 01 KVA UPS installation as well as Display) at Civil Court, Chhapra, District Saran	1498/ 19.02.26	1482410 (चौदह लाख ब्यासी हजार चार सौ दस रुपये)
02	विद्युत भवन प्रमंडल सं०-01, पटना	32395	SITC of 11/433 KV Sub-Station (02 No. 500 KVA Transformer, HT Panel, LT Panel and Cable) shifting of 01 No. 500 KVA Transformer along with Operation and Maintenance for three year in the campus of Civil Court, Patna Sadar, Patna	288/ 13.01.25	1619920 (सोलह लाख उन्नीस हजार नौ सौ बीस रुपये)
कुल राशि					3102330

(इकतीस लाख दो हजार तीन सौ तीस रुपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0105-न्यायिक भवन हेतु (विधि विभाग के लिए) विपत्र कोड-03-4059800510105 के विषयशीर्ष-53-मुख्य निर्माण-0105.53.01-मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जायेगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी ।
- प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

82